VEER ARJUN, Delhi, 9.7.2025
Page No. 12, Size:(24.90)cms X (14.47)cms.

संथारा से बच्ची की मौत : मप्र उच्च न्यायालय ने सरकार और माता-पिता से मांगा जवाब

इंदौर, (भाषा)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन वर्षीय लड़की को संथारा व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ ही संथारा व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद दम तोड़ने वाली तीन वर्षीय लड़की के माता-पिता को नोटिस जारी किया। युगल पीठ ने प्रतिवादियों से चार हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब तलब किया है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को हो सकती है। यह याचिका शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) ने दायर की है। याचिका में गुहार की गई है कि नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को संथारा व्रत ग्रहण कराए जाने की प्रक्रिया पर कानूनी रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण संबंधित व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। संथारा जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल, दवाएं और अन्य सांसारिक वस्तुएं छोड़कर प्राण त्यागने का फैसला करता है। जैन के वकील शुभम शर्मा ने बताया कि जनहित याचिका में कहा गया है कि संथारा की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले यह व्रत लेने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन साल की अबोध बच्ची को कथित तौर पर जबरन यह व्रत दिला दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया, बच्ची की मौत के बाद उसके माता-पिता के आवेदन पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बच्ची के नाम विश्व कीर्तिमान का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी किया।

Hindu

M.P. High Court issues notice over minor's death linked to Jain ritual

Petition seeks ban on Santhara for minors and mentally ill; parents, NHRC, and governments asked to respond

https://www.thehindu.com/news/national/madhya-pradesh/mp-high-court-issues-notice-over-minors-death-linked-to-jain-ritual/article69788557.ece

Published - July 08, 2025 11:17 pm IST - Bhopal

Mehul Malpani

The Madhya Pradesh High Court on Tuesday (July 8, 2025) issued notices to the Union and State governments, various State authorities, the National Human Rights Commission (NHRC), and an Indore-based couple in connection with the death of a three-year-old girl, who allegedly undertook the Jain ritual of Santhara — a vow of fasting unto death.

A Division Bench comprising Justices Vivek Rusia and Binod Kumar Dwivedi issued the notices while hearing a public interest litigation filed by social worker Pranshu Jain. The petition has sought a ban on the observance of Santhara by minors and persons with mental illness.

Madhya Pradesh child rights body takes cognisance of 3-year-old's death after Santhara ritual

The plea contends that the practice, if permitted for minors and vulnerable individuals, may be misused by others to "get rid" of relatives suffering from serious health conditions or psychological disorders. The petition also seeks penal action against those facilitating Santhara for minors.

The court directed notices to be served on the Union Government, the Madhya Pradesh Government, the NHRC, the State Director General of Police, the Indore Divisional Commissioner, the Indore District Collector, and the City Police Commissioner.

Additionally, the girl's parents — Piyush Jain and Varsha Jain — were also made respondents in the case, following a prior direction of the court last month. Their response has been sought.

Jain saint Rajesh Muni Maharaj, who performed Santhara on the 3-year-old. File | Photo Credit: A.M. Faruqui

Advocate Shubham Sharma, appearing for the petitioner, told The Hindu that an interim ban on Santhara for minors had also been requested. "But the High Court has issued notices to the respondents for now and will consider our request after their response," he said.

The matter is tentatively listed for further hearing on August 25. The issuance of notice is subject to the petitioner depositing the process fee, the court clarified.

Issue notice to the respondents on payment of process fee within three working days. Notice be made returnable within four weeks," the Bench directed.

According to the petition, three-year-old Viyana Jain, who was reportedly undergoing treatment for a brain tumour, died on March 21 after taking the Santhara vow. The ritual was allegedly undertaken on the advice of a Jain monk, Rajesh Muni Maharaj, whom the parents had approached to seek blessings for their daughter.

The petition was moved before the High Court on May 9, following media reports that the parents had been recognised by the Golden Book of World Records — a U.S.-based organisation — which awarded a certificate declaring the child as the "youngest to vow the Jain ritual Santhara".

Law Trend

MP High Court Seeks Replies Over 3-Year-Old's Death After `Santhara' Ritual, PIL `Alleges Violation of Child's Right to Life

https://lawtrend.in/mp-high-court-seeks-replies-over-3-year-olds-death-after-santhara-ritual-pil-alleges-violation-of-childs-right-to-life/

July 8, 2025 | Court Updates By Law Trend

July 8, 2025 8:54 PM

The Madhya Pradesh High Court on Tuesday issued notices to the Centre, state government, National Human Rights Commission, and the parents of a three-year-old girl who died after undergoing the Jain ritual of Santhara, following a Public Interest Litigation (PIL) that challenges the practice when applied to minors or mentally ill individuals.

A division bench comprising Justices Vivek Rusia and Binod Kumar Dwivedi of the Indore bench directed all parties to file their responses within four weeks. The matter is expected to be heard again on August 25.

The PIL, filed by 23-year-old Indore-based activist Pranshu Jain, asserts that compelling a child to undertake Santhara — a centuries-old Jain ritual involving voluntary death by fasting — violates the fundamental constitutional rights to life and personal liberty under Article 21.

According to the petitioner's counsel, advocate Shubham Sharma, the case centers on the alleged coercion of a terminally ill three-year-old girl, suffering from a brain tumor, into taking the vow earlier this year. "The child was incapable of understanding or consenting to such a grave decision," Sharma told PTI.

Following the girl's death, her parents — both IT professionals — reportedly secured a certificate from the Golden Book of World Records, citing her as the youngest person ever to undertake Santhara. The incident triggered public outrage, with the parents later stating that a Jain monk had inspired them to perform the ritual, arguing that the child was suffering greatly and could no longer eat or drink due to her illness.

Despite representations to authorities, no official action was taken, prompting Jain to move the high court, Sharma added.

The PIL gains significance against the backdrop of a 2015 Rajasthan High Court judgment, which classified Santhara as a punishable offence under Sections 306 and 309 of the IPC, pertaining to abetment and attempt to suicide. However, that ruling was later stayed by the Supreme Court after protests by Jain organisations, leaving the legal status of the practice in limbo.

Dainik Bhaskar

बच्ची को संथारा ग्रहण कराने पर हाईकोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माता-पिता सहित 10 को नोटिस जारी कर किया तलब

इंदौर1 घंटे पहले

https://www.bhaskar.com/local/mp/indore/news/indore-hearing-on-making-a-3-year-old-girl-take-santhara-135402162.html

इंदौर में 3 साल की बच्ची वियाना जैन की संथारा ग्रहण करवाने के बाद हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, सचिव विधि मंत्रालय भारत सरकार, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, चेयरमैन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डीजीपी मध्य प्रदेश, कमिश्नर इंदौर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर के साथ बच्ची के माता-पिता पीयूष जैन और वर्षा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले में याचिकाकर्ता प्रांशु जैन ने अपने एडवोकेट शुभम शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। पिछली बार कोर्ट ने याचिका में बच्ची के माता-पिता को भी पक्षकार बनाने को कहा था। मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करने के बाद सुनवाई शुरू की।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की डबल बेंच ने इन सभी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को संथारा दिलाए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह है मामला

मामला 21 मार्च का है। बच्ची वियाना ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी। उसे माता-पिता इंदौर में एक आध्यात्मिक संकल्प अभिग्रहधारी महाराज के पास दर्शन करने ले गए। महाराज ने बालिका की दूसरे दिन मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। साथ ही उसे संथारा दिलाने के लिए कहा था।

इस पर माता-पिता ने उसे संथारा दिलाया था। 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में इसे सबसे कम उम्र में संथारा का रिकॉर्ड बताते हुए उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया था। इसके खिलाफ प्रांशु जैन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी।

इंदौर में 3 साल की बच्ची का संथारा

इंदौर में तीन साल की वियाना को संथारा दिलाया गया। धार्मिक प्रक्रिया पूरी होने के चंद मिनटों बाद ही उसकी समाधि मृत्यु हो गई। बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। इसका इलाज मुंबई के अस्पताल से कराया जा रहा था।

Hindustan

संथारा से 3 साल की बच्ची की मौत; एमपी हाईकोर्ट का माता-पिता और सरकारों को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची की 'संथारा' अपनाने के बाद हुई मौत के मामले में माता-पिता, राज्य और केंद्र सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका बच्ची को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण 'संथारा' लेने के बाद हुई मौत पर दाखिल की गई थी।

https://www.livehindustan.com/madhya-pradesh/madhya-pradesh-high-court-notice-to-parents-and-govt-on-death-of-three-year-old-girl-undergo-santhara-201751987569998.html

8 जुलाई 2025

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची की 'संथारा' अपनाने के बाद हुई मौत के मामले में माता-पिता और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह सख्त रुख एक जनहित याचिका पर लिया। यह याचिका 3 साल की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण 'संथारा' लेने के बाद हुई मौत की घटना पर दाखिल की गई थी।

इंदौर पीठ के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने माता-पिता के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत ने इनसे 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि बच्चों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को संथारा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कृत्य उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

प्रांशु जैन के वकील शुभम शर्मा ने बताया कि उनकी याचिका में कहा गया है कि संथारा से पहले व्यक्ति की सहमति जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 3 साल की लड़की को कथित तौर पर संथारा लेने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

वकील ने अपनी दलील में आगे कहा कि बच्ची की मौत के बाद उसके माता-पिता ने आवेदन किया जिससे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रमाण पत्र में कहा गया कि वह संथारा लेने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स थी।

वकील शर्मा ने आगे कहा कि बच्ची की मौत के बारे में जानने के बाद उनके मुवक्किल ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस बारे में शिकायत की लेकिन उनकी ओर से कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।

लड़की के माता-पिता आईटी प्रोफेसनल हैं। बच्ची की मौत के बाद हंगामा मचने पर माता-पिता ने कहा कि उन्हें एक जैन साधु से प्रेरणा मिली थी। इससे उन्होंने इस साल मार्च में अपनी इकलौती बेटी को संथारा दिलवाया। बच्ची ब्रेन ट्यूमर के कारण बहुत बीमार थी। उसको खाने-पीने में भी दिक्कत हो रही थी।

माता पिता का कहना था कि संथारा से जुड़ी रस्में पूरी करने के तुरंत बाद बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि 'संथारा' एक प्राचीन जैन प्रथा है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं का त्याग करके अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

साल 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत संथारा प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया था। इसके बाद जैन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

IBC24

`संथारा' से बच्ची की मौत : मप्र उच्च न्यायालय ने सरकार और माता-पिता से मांगा जवाब

https://www.ibc24.in/madhya-pradesh/girls-death-due-to-santhara-madhya-pradesh-hc-seeks-response-from-govt-and-parents-3154068.htmlEdited By : Bhasha

Modified Date: July 8, 2025 / 07:48 PM IST, Published Date: July 8, 2025 7:48 pm IST

इंदौर, आठ जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन वर्षीय लड़की को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ ही 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद दम तोड़ने वाली तीन वर्षीय लड़की के माता-पिता को नोटिस जारी किया।

युगल पीठ ने प्रतिवादियों से चार हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब तलब किया है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को हो सकती है।

यह याचिका शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) ने दायर की है। याचिका में गुहार की गई है कि नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने की प्रक्रिया पर कानूनी रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण संबंधित व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

'संथारा' जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल, दवाएं और अन्य सांसारिक वस्तुएं छोड़कर प्राण त्यागने का फैसला करता है।

जैन के वकील शुभम शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जनहित याचिका में कहा गया है कि 'संथारा' की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले यह व्रत लेने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन साल की अबोध बच्ची को कथित तौर पर जबरन यह व्रत दिला दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया, 'बच्ची की मौत के बाद उसके माता-पिता के आवेदन पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बच्ची के नाम विश्व कीर्तिमान का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रमाण पत्र में बच्ची को जैन विधि-विधान के मुताबिक संथारा व्रत ग्रहण करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स बताया गया है।'

शर्मा ने यह भी बताया कि 'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद तीन वर्षीय लड़की की मौत का मामला मीडिया के जरिये सामने आने के बाद उनके मुवक्किल ने केंद्र और राज्य सरकार को इसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाए जाने के कारण उन्होंने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया।

'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद प्राण त्यागने वाली लड़की के माता-पिता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के पेशेवर हैं। लड़की की मौत पर बवाल मचने के बाद उसके माता-पिता ने दावा किया था कि उन्होंने 21

मार्च की रात एक जैन मुनि की प्रेरणा से अपनी इकलौती संतान को यह व्रत दिलाने का फैसला ऐसे वक्त लिया, जब वह ब्रेन ट्यूमर के कारण बेहद बीमार थी और उसे खाने-पीने में भी दिक्कत हो रही थी।

लड़की के माता-पिता के मुताबिक जैन मुनि द्वारा 'संथारा' के धार्मिक विधि-विधान पूरे कराए जाने के चंद मिनटों के भीतर ही उनकी बेटी ने प्राण त्याग दिए थे।

जैन समुदाय की धार्मिक शब्दावली में संथारा को 'सल्लेखना' और 'समाधि मरण' भी कहा जाता है। इस प्राचीन प्रथा के तहत कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय का आभास होने पर मृत्यु का वरण करने के लिए अन्न-जल और सांसारिक वस्तुएं त्याग देता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में 'संथारा' प्रथा को भारतीय दंड विधान की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था। हालांकि, जैन समुदाय के अलग-अलग धार्मिक निकायों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी।

भाषा

हर्ष, रवि कांत रवि कांत

The Print Hindi

`संथारा' से बच्ची की मौत : मप्र उच्च न्यायालय ने सरकार और माता-पिता से मांगा जवाब

https://hindi.theprint.in/india/girl-child-died-due-to-santhara-madhya-pradesh-high-court-sought-response-from-government-and-parents/840042/

भाषा | 8 July, 2025 08:03 pm IST

इंदौर, आठ जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन वर्षीय लड़की को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ ही 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद दम तोड़ने वाली तीन वर्षीय लड़की के माता-पिता को नोटिस जारी किया।

युगल पीठ ने प्रतिवादियों से चार हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब तलब किया है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को हो सकती है।

यह याचिका शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) ने दायर की है। याचिका में गुहार की गई है कि नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने की प्रक्रिया पर कानूनी रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण संबंधित व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

'संथारा' जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल, दवाएं और अन्य सांसारिक वस्तुएं छोड़कर प्राण त्यागने का फैसला करता है।

जैन के वकील शुभम शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जनहित याचिका में कहा गया है कि 'संथारा' की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले यह व्रत लेने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन साल की अबोध बच्ची को कथित तौर पर जबरन यह व्रत दिला दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया, 'बच्ची की मौत के बाद उसके माता-पिता के आवेदन पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बच्ची के नाम विश्व कीर्तिमान का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रमाण पत्र में बच्ची को जैन विधि-विधान के मुताबिक संथारा व्रत ग्रहण करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स बताया गया है।'

शर्मा ने यह भी बताया कि 'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद तीन वर्षीय लड़की की मौत का मामला मीडिया के जरिये सामने आने के बाद उनके मुवक्किल ने केंद्र और राज्य सरकार को इसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाए जाने के कारण उन्होंने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया।

'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद प्राण त्यागने वाली लड़की के माता-पिता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के पेशेवर हैं। लड़की की मौत पर बवाल मचने के बाद उसके माता-पिता ने दावा किया था कि उन्होंने 21

मार्च की रात एक जैन मुनि की प्रेरणा से अपनी इकलौती संतान को यह व्रत दिलाने का फैसला ऐसे वक्त लिया, जब वह ब्रेन ट्यूमर के कारण बेहद बीमार थी और उसे खाने-पीने में भी दिक्कत हो रही थी।

लड़की के माता-पिता के मुताबिक जैन मुनि द्वारा 'संथारा' के धार्मिक विधि-विधान पूरे कराए जाने के चंद मिनटों के भीतर ही उनकी बेटी ने प्राण त्याग दिए थे।

जैन समुदाय की धार्मिक शब्दावली में संथारा को 'सल्लेखना' और 'समाधि मरण' भी कहा जाता है। इस प्राचीन प्रथा के तहत कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय का आभास होने पर मृत्यु का वरण करने के लिए अन्न-जल और सांसारिक वस्तुएं त्याग देता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में 'संथारा' प्रथा को भारतीय दंड विधान की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था। हालांकि, जैन समुदाय के अलग-अलग धार्मिक निकायों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी।

भाषा

हर्ष, रवि कांत रवि कांत

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

NDTV MP Chattisgarh

बच्ची को संथारा ग्रहण कराने का मामला: एमपी HC ने बच्ची की मौत के बाद सरकार और माता-पिता से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में तीन वर्षीय लड़की की 'संथारा' व्रत ग्रहण करने के बाद मौत के मामले में उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है.

https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/mp-high-court-sought-answers-from-government-and-parents-after-child-girl-take-santhara-death-8845761

Edited by:गीतार्जुन (with inputs from Bhasha)

मध्य प्रदेश न्यूज़

जुलाई 09, 2025 00:16 am IST

Published Onजुलाई 09, 2025 00:16 am IST

Last Updated Onजुलाई 09, 2025 00:16 am IST

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने इंदौर में ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumor) से जूझ रही तीन वर्षीय लड़की को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद उसकी मौत के सिलसिले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा. हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ ही 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने के बाद दम तोड़ने वाली तीन वर्षीय लड़की के माता-पिता को नोटिस जारी किया.

युगल पीठ ने प्रतिवादियों से चार हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब तलब किया है. जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को हो सकती है.

संथारा (Santhara) पर लगाई जाए रोक

यह याचिका शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रांशु जैन (23) ने दायर की है. याचिका में गुहार की गई है कि नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को 'संथारा' व्रत ग्रहण कराए जाने की प्रक्रिया पर कानूनी रोक लगाई जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण संबंधित व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है.

क्या है संथारा

'संथारा' जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है, जिसका पालन करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल, दवाएं और अन्य सांसारिक वस्तुएं छोड़कर प्राण त्यागने का फैसला करता है.

जैन के वकील शुभम शर्मा ने बताया कि जनहित याचिका में कहा गया है कि 'संथारा' की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले यह व्रत लेने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही तीन साल की अबोध बच्ची को कथित तौर पर जबरन यह व्रत दिला दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई.

सबसे कम उम्र की बच्ची ने ग्रहण किया संथारा

उन्होंने बताया, 'बच्ची की मौत के बाद उसके माता-पिता के आवेदन पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बच्ची के नाम विश्व कीर्तिमान का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी किया. इस प्रमाण पत्र में बच्ची को जैन विधि-विधान के मुताबिक संथारा व्रत ग्रहण करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स बताया गया है.'

शर्मा ने यह भी बताया कि 'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद तीन वर्षीय लड़की की मौत का मामला मीडिया के जरिये सामने आने के बाद उनके मुवक्किल ने केंद्र और राज्य सरकार को इसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाए जाने के कारण उन्होंने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया.

'संथारा' व्रत दिलाए जाने के बाद प्राण त्यागने वाली लड़की के माता-पिता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के पेशेवर हैं. लड़की की मौत पर बवाल मचने के बाद उसके माता-पिता ने दावा किया था कि उन्होंने 21 मार्च की रात एक जैन मुनि की प्रेरणा से अपनी इकलौती संतान को यह व्रत दिलाने का फैसला ऐसे वक्त लिया, जब वह ब्रेन ट्यूमर के कारण बेहद बीमार थी और उसे खाने-पीने में भी दिक्कत हो रही थी.

लड़की के माता-पिता के मुताबिक जैन मुनि द्वारा 'संथारा' के धार्मिक विधि-विधान पूरे कराए जाने के चंद मिनटों के भीतर ही उनकी बेटी ने प्राण त्याग दिए थे.

जैन समुदाय की धार्मिक शब्दावली में संथारा को 'सल्लेखना' और 'समाधि मरण' भी कहा जाता है. इस प्राचीन प्रथा के तहत कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय का आभास होने पर मृत्यु का वरण करने के लिए अन्न-जल और सांसारिक वस्तुएं त्याग देता है.

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में 'संथारा' प्रथा को भारतीय दंड विधान की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराध करार दिया था. हालांकि, जैन समुदाय के अलग-अलग धार्मिक निकायों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी.

Medical Buyers

NHRC seeks license cancellation of Mission Hospital in fake doctor case

https://medicalbuyer.co.in/nhrc-seeks-license-cancellation-of-mission-hospital-in-fake-doctor-case/

July 09, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday said that it has found several irregularities in the case of a fake doctor working as a Cardiologist at Mission Hospital in Madhya Pradesh's Damoh.

The Human Rights Commission stated that after conducting a probe into the matter, it has made several recommendations to the Madhya Pradesh government and has sought a report within four weeks. It has further recommended that the Madhya Pradesh government shall pay Rs 10 lakh each as relief to the next of kin of all seven patients who died following treatment by the fake Cardiologist at this hospital.

"After its enquiry, the National Human Rights Commission (NHRC) India has found several irregularities in the case of a fake doctor working as a Cardiologist at Mission Hospital in Damoh, Madhya Pradesh. Accordingly, it has made several recommendations to the Government of Madhya Pradesh and the Centre, seeking action taken reports within four weeks. The Commission had registered the case on the basis of a complaint on 28th March, 2025, and conducted its enquiry besides seeking reports from the concerned State authorities on the matter," NHRC said in a release.

"The Commission has recommended to the Government of Madhya Pradesh, through its Chief Secretary, that it pay Rupees 10 Lakh each as relief to the next of kin of all seven patients who died following treatment by the fake Cardiologist at this hospital. The Commission has also recommended cancellation of the license of the Mission Hospital until the final disposal of the matter, besides issuing necessary directions to officials to inspect all Cath labs, which are functional in Madhya Pradesh," it added.

On April 7, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav said that his government will take strict action in the case and highlighted that the State government would not make any delay in taking action against such cases and instructed that if there is any other such case in the State, the health department should take strict action against them.

NHRC also stated that it has recommended to the Director General of Police, Madhya Pradesh, to initiate departmental action against the concerned police officers who committed negligence in the registration of an FIR and investigation into it. ANI

The Sootra

अब देशभर की कैथ लैब्स में डॉक्टर्स की होगी जांच

https://thesootr.com/state/madhya-pradesh/fake-cardiologist-death-7-patients-damoh-mission-hospital-9474315

MP News: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में एक गंभीर घटना घटी है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा दिल की सर्जरी करने से सात मरीजों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले को गंभीरता से लिया। NHRC ने देशभर में कार्यरत डॉक्टरों की योग्यता की जांच के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

दमोह के मिशन अस्पताल में डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन. जान कैम ने खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर कई मरीजों की हार्ट सर्जरी की। मार्च 2025 में यह खुलासा हुआ, जब इन सर्जरी के बाद सात मरीजों की मृत्यु हो गई थी। जांच में सामने आया कि अस्पताल और डॉक्टर दोनों की ओर से अनियमितताएं और लापरवाही बरती गई, जिससे मरीजों की मौत हुई।

NHRC के निर्देश

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

देशभर में डॉक्टरों की योग्यता की जांच: सभी कैथ लैब्स में कार्यरत डॉक्टरों की योग्यता की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आयुष्मान भारत योजना का दुरुपयोग: राज्य सरकारों से आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग की जांच करने को कहा गया है।

मुआवजे की अनुशंसा: मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की गई है।

FIR दर्ज करने का निर्देश: डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर अलग-अलग FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानूनी कार्रवाई की सलाह: गैर इरादतन हत्या, ठगी, जालसाजी, और चिकित्सकीय लापरवाही जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की सलाह दी गई है।

अस्पताल की जांच और कड़ी कार्रवाई

NHRC ने मिशन अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने और अस्पताल की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, पुलिस और CMHO द्वारा की गई लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

गंभीर सवाल जिनकी होगी जांच

इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की जाएगी:

क्या मरीजों को सर्जरी से पहले संभावित खतरे और विकल्पों की जानकारी दी गई थी?

क्या अस्पताल ने बीमा कराया था, और क्या मृतकों के परिजनों को इसका लाभ मिला?

क्या अस्पताल के निर्माण और संचालन में नियमों का उल्लंघन हुआ था?

व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा

जो लोग इस अपराध को उजागर करने में मदद कर रहे हैं, उन्हें व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा कानून 2014 के तहत संरक्षण देने की सिफारिश की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

5 प्वाइंट्स में समझे पूरी स्टोरी

✓हाल ही में दमोह जिले के मिशन अस्पताल में एक गंभीर घटना हुई थी। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने दिल की सर्जरी की थी। इस सर्जरी के कारण सात मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन. जान कैम ने खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताया। उन्होंने इन सर्जरी को अंजाम दिया था।

✓इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लिया और इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। NHRC ने सभी कैथ लैब्स में डॉक्टरों की योग्यता की जांच कराने और आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग की जांच करने के आदेश दिए हैं।

✓NHRC ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की अनुशंसा की है। इसके अलावा, डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर अलग-अलग FIR दर्ज करने की सलाह दी गई है।

✓मिशन अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने और अस्पताल की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पुलिस और CMHO द्वारा की गई लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

✓NHRC ने व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। इसके लिए 2014 के व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा कानून के तहत संरक्षण देने की सलाह दी गई है। यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है।

Kranti Odisha

डीएम वाराणसी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किया तलब

https://krantiodishanews.in/post/12213

July 8, 2025 | krantiodishanews

वाराणसी (यूपी) , राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीएम वाराणसी को सूचना उपलब्ध न कराए जाने का दोषी पाए जाने पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सशर्त समन जारी करते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। मामला वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के कारखियाँव गांव का है। गांव की बुजुर्ग महिला लालमुनि तथा उसके पति अब्बास ने अपने पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम और एस डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय गुहार लगाई थी। बुजुर्ग का कहना था कि कई वर्षों से हम जिस जमीन पर खेती कर रहे थे वहां लेखपाल द्वारा हमारी जमीन को जबरजस्ती दूसरे व्यक्ति को कब्जा कराकर रजिस्ट्री करवा रहा है।

करिखियांव ग्राम सभा में आराजी नंबर 1789 (क) गरीबों को सरकार द्वारा खेती एवं जीवन यापन के लिए दिया गया था, लेकिन जब से इंडस्ट्रीज आई है तब से जमीन की कीमत में उछाल आगया है। इसी कारण राजस्व विभाग की मिली भगत से गरीबों की जमीन पर जबरजस्ती कब्जा किया जा रहा है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह (योगी) ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आयोग में शिकायत भेज कर अनुरोध किया था।

आयोग ने दिनांक 08/10/2024 को मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम को आरोपों की जांच कर छह सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। आयोग ने डीएम को 22/01/2025 को रिमाइंडर जारी किया इसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

आयोग ने दिनांक 07/07/2025 को मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों में आयोग के पास मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 को लागू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेड वाराणसी को सशर्त समन जारी करते हुए 11/08/2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अपेक्षित कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि यदि अपेक्षित रिपोर्ट निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाती है तो जिला मजिस्ट्रेड की व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी जाएगी। आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में यह भी कहा है कि यदि जिला मजिस्ट्रेड वाराणसी बिना किसी वैध बहाने के आयोग के आदेश को पालन करने में विफल रहते है तो जिला मजिस्ट्रेड वाराणसी सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश XVI के नियम 10 और नियम 12 में निर्धारित गैर- हाजिरी के परिणामों के अधीन होंगे, जिसमें गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी करना भी शामिल है।

Rewa News Media

रीवा: प्रतिष्ठित ज्योति स्कूल में अमानवीयता! मासूम बच्चे से टॉयलेट साफ करवाया, NHRC ने लगाया ₹50,000 का जुर्माना; जांच जारी

https://www.rewanewsmedia.com/rewa/rewa-inhumanity-at-the-prestigious-jyoti-school!-nhrc/cid17046674.htm

By REWA NEWS MEDIA | Jul 8, 2025, 16:06 IST

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा के एक कथित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, ज्योति स्कूल में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बच्चे को टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने शिक्षा के मंदिरों में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना लगभग पांच-छह महीने पहले ठंड के मौसम में हुई थी, जिसने बच्चे की पीड़ा को और बढ़ा दिया।

मामले की गंभीरता और मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप

इस अमानवीय कृत्य की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंची, जिसने मामले का तत्काल संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने अपनी जांच के बाद इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर ₹50,000 (पचास हजार रुपये) का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन को आर्थिक रूप से दंडित किया है।

स्कूल की प्रतिष्ठा और चौंकाने वाली सच्चाई

ज्योति स्कूल को रीवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालयों में गिना जाता है, जहां अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों और व्यवसायी वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे स्कूल में इस तरह की घटना का सामने आना इसकी 'प्रतिष्ठा' और 'वास्तविकता' के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाता है। यह सवाल उठाता है कि क्या केवल नाम और सामाजिक पहचान से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

शिकायतकर्ता और स्कूल प्रशासन का रवैया

इस पूरे विवाद को उजागर करने में बीजेपी नेता गौरव तिवारी की अहम भूमिका रही। उन्होंने इस घटना के संबंध में एनएचआरसी में एफआईआर दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, दुखद बात यह है कि इस घटना के सामने आने के बाद से स्कूल प्रशासन ने मीडिया और शिकायतकर्ता, दोनों से संपर्क करने या स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। यह रवैया पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से बचने की कोशिश को दर्शाता है, जो बच्चों के हितों के लिए खतरनाक हो सकता है।

मुख्य चिंताएं और भविष्य की राह

यह घटना केवल ज्योति स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

जवाबदेही का अभाव: स्कूल प्रशासन का चुप्पी साधना और मीडिया से दूरी बनाए रखना दर्शाता है कि वे अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं।

दंडात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता: ₹50,000 का जुर्माना एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रणालीगत बदलाव और शिक्षा के माहौल में सुधार अधिक जरूरी है।

बच्चों के अधिकारों का हनन: एक मासूम बच्चे से टॉयलेट साफ करवाना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है।

सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता: गौरव तिवारी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का हस्तक्षेप ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से पालन हो। स्कूल प्रशासन को अपने दायित्वों को समझना होगा और पारदर्शिता व जवाबदेही की दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं दोहराई न जा सकें और बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें।

Assam Tribune

Shankaracharya must clarify `beef' remark within 7 days: Assam Brahmin Council

It highlighted that the comment from the religious head deeply hurt sentiments of Brahmins in Assam for almost a millennium

https://assamtribune.com/assam/shankaracharya-must-clarify-beef-remark-within-7-days-assam-brahmin-council-1583989

By Correspondent - 8 July 2025 2:39 PM

Sivasagar, July 8: The All Assam United Brahmin Council (AAUBC), in a strongly worded recent letter to Shankaracharya Nishchalananda Saraswati of Puri, has protested against his alleged remark that Brahmins in Assam also ate beef once upon a time due to superstitious beliefs.

The letter, signed by Manoj Kumar Borthakur, Pramode Goswami, and Gopal Pandey, president, executive president, and secretary of AAUBC, respectively, has asked the Shankaracharya to issue a clarification in this regard within seven days or face legal action.

The letter has also stated that such a comment from a revered religious head of Sanatan Dharma has deeply hurt the sentiments of the Brahmins living in the State since almost a millennium. Copies of the letter have been sent to the Chief Minister of Assam, the joint secretary of the Union Ministry of Information &Broadcasting, the Union Home Ministry, the Press Council of India, the National Law Commission, the National Human Rights Commission, and leading national dailies

Memorial event: Meanwhile, Rangpur Sahitya Sabha organised a memorial programme at its office on Friday for the first martyr of the language movement, Ranjit Borpujari, as well as poet Hiren Bhattacharyya.

The event was chaired by Rangpur Sahitya Sabha president Amitabh Baruah. Its secretary, Prasanta Kumar Gogoi, spoke about the objectives of the programme, while prominent poets Punjan Baruah and Parasmani Bordoloi lit ceremonial lamps in front of the portraits of the deceased duo.

The meeting observed a minute's silence to pay homage account on the circumstance leading to Ranjit Borpujari's death in police firing at a hostel of Cotton College.

Poet Hiren Bhattacharyya's sister-in-law, Mridula Borthakur, spoke a few words about the poet. The event was also attended by Ruma Barua, Sandhyarani Barthakur, Veena Konwar, Santwana Bardoloi, Kalpana Katoky, Niru Chetia, and Ratnamoni Sharma, among others.

Janta Se Rishta

Meghalaya ने शिलांग में एनसीबी उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए एनएचआरसी से सहयोग मांगा

https://jantaserishta.com/local/meghalaya/meghalaya-seeks-nhrcs-support-to-set-up-ncb-sub-regional-office-in-shillong-4134167

July 8, 2025

Shillong शिलांग: गृह (पुलिस) के प्रभारी उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के विशेष निगरानीकर्ता और बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भाग लिया। इस बैठक में मेघालय में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बैठक में समाज कल्याण के प्रभारी मंत्री पॉल लिंगदोह भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रमुख चिंताओं, चल रही पहलों और दौरे पर आए अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तत्काल अपीलों पर प्रकाश डाला। लिंगदोह ने कहा, "हमने अभी-अभी एनएचआरसी के विशेष निगरानीकर्ता राकेश अस्थाना की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री (गृह-पुलिस) के नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। राकेश अस्थाना बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक भी हैं और उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का नेतृत्व किया था। वे राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति का आकलन करने के लिए मेघालय के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमने एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर को राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने हमारे प्रयासों की बहुत सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से ड्रीम प्रोजेक्ट की सराहना की, जो शैक्षणिक संस्थानों और आस्था-आधारित संगठनों को शामिल करते हुए एक समुदाय-आधारित पहल है।" लिंगदोह ने मेघालय की रणनीतिक कमज़ोरी को रेखांकित किया क्योंकि यह एक प्रमुख ड्रग तस्करी गलियारे के भीतर स्थित है। उन्होंने कहा, "चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक म्यांमार में गोल्डन ट्राइंगल के साथ मेघालय की निकटता थी, जो एक प्रमुख वैश्विक ड्रग आपूर्ति क्षेत्र है। पंजाब जैसे राज्यों के विपरीत, जहां आपूर्ति अक्सर स्थानीय होती है, हमारे मामले में, ड्रग्स राज्य के बाहर से आती है, जो एक गंभीर खतरा पैदा करती है।" उन्होंने कहा कि इस मामले पर कल और विस्तृत चर्चा होगी। "आज की बैठक ने आधार तैयार किया, लेकिन कल और अधिक विस्तृत चर्चा होगी।" बैठक में गृह पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें पुलिस महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कानून विभाग के प्रतिनिधि और ड्रीम मिशन से जुड़े अधिकारी शामिल थे।

प्रस्तुत किए गए प्रमुख प्रस्तावों में से एक शिलांग में समर्पित NCB उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना थी। लिंगदोह ने कहा, "हमने NHRC से हस्तक्षेप करने और शिलांग में NCB उप-क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया, जो क्षेत्र में प्रवर्तन को काफी मजबूत करेगा।"

उन्होंने वाहन स्कैनर की खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक लंबित प्रस्ताव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित वाहन स्कैनर प्राप्त करने के हमारे प्रस्ताव के बारे में NHRC के अधिकारी को सूचित किया। हालांकि प्रस्ताव पहले ही केंद्रीय मंत्रालय को सौंप दिया गया है, लेकिन इसकी मंजूरी में अनुचित देरी हुई है।"

राज्य ने शुरू में दो ऐसे स्कैनर का अनुरोध किया है, और लिंगदोह ने पुष्टि की कि NHRC के विशेष मॉनिटर ने उनके हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। ये स्कैनर री भोई जिले में दो प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर उपयोग के लिए हैं, और DGP को इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है।

कानूनी मोर्चे पर, लिंगदोह ने PIT-NDPS अधिनियम के तहत प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। "हमने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम पर भी चर्चा की, जिसमें निवारक निरोध के प्रावधान शामिल हैं। हमने प्रस्ताव दिया कि निरोध अवधि को तीन साल तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में, चार व्यक्ति पहले से ही निवारक निरोध में हैं, और बारह और मामले सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।" 8 जुलाई को होने वाली अनुवर्ती चर्चाओं से मेघालय के मादक पदार्थों के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की उम्मीद है।